न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प सागर म0 प्र0

I/अपील/सागर/भू.रा./2018/0671

बली मुहम्मद पिता शेर खाँ उम्र 70 साल

निवासी ग्राम ~~वि~~ गिदवानी तह. व जि. सागर म0 प्र0

---अपीलार्थी

।। विरूद्ध ।।

म0प्र0 शासन --- प्रति अपीलार्थी

अपील. क्र. ता. पेशी-

अपील अन्तर्गत धारा 44 म0 प्र0 भू0 रा0 सं0 1959

अपीलार्थी निम्नलिखित प्रार्थना करता है:-

§1§ यह कि अधिनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के समक्ष लंबित राजस्व अपील प्र. क्र. 465-अ-6§अ§ वर्ष 15-16 मे पारित आदेश दिनांक 14-9-17 से दुखित होकर निम्न तथ्य एवं आधारो पर उक्त अपील प्रस्तुत है ।

§2§ यह कि अपीलार्थी की मौजा गिदवानी तह. व जिला सागर स्थित /भूमि ~~ख0000000~~ बंदोवस्त पूर्व खसरा नं. 48/3 रकवा 2.023 हे. था. जो बंदोवस्त वाद नया ख. नं. 215/1, 215/2, 215/3, रकवा क्रमशः 1.22, 0.60, 0.20 योग - 2.02 हेक्टे. बनाया गया है । जिसका रकवा सही है. केवल नक्शा कम हो गया है. अतः खसरा नं. 215/1, रकवा 1.22 हे. का अभिलेख से मिलान कर नक्शा दुरूस्त किया जाना है ।

§3§ यह कि अपीलार्थी की भूमि बंदोवस्त के दोरान राजस्वरिकार्ड मे 0.78 हे. कम हो गई थी. जो बंदोवस्त की त्रुटि थी जिसके सुधार बावत् अपीलार्थी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था जिसमें बंदोवस्त के पश्चात् की खसरा बी.-1 एवं बंदोवस्त के पूर्व के खसरा बी-1, प्रस्तुत किए थे जिनसे स्पष्ट हो गया था कि अपीलार्थी की 0.78 हे. भूमि कम हो गई है। जिसका सुधार किया जाना है ।परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने बंदोवस्त के पूर्वानुसार रिकार्ड दुरूस्त नहीं किया बल्कि अपील निरस्त कर दी । जिसे स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

§4§ यह कि बंदोवस्त पूर्व खसरा नं. 48/1, रकवा 2.023, हेक्टे.

23-1-18

Rekha 23-1-18

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/अपील/सागर/भू.रा./2018/671

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
08/03/2018	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता के बिन्दु पर दिए गए तर्कों पर विचार किया एवं आलोच्य आदेश का अवलोकन किया। प्रकरण में अपर कलेक्टर सागर ने तहसीलदार के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए आवेदक के नक्शा में बटांक कायम न होने के कारण एवं शासकीय रकवा प्रभावित होने पर दुरुस्ती किया जाना उचित न मानते हुए आवेदन निरस्त किया है। अपर कलेक्टर द्वारा आवेदक को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर देने के उपरांत आदेश पारित किया गया है, जिसकी पुष्टि अपर आयुक्त ने अपने आदेश में की है, जिसमें कोई न्यायिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती है। दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है। **प्रशासकीय सदस्य**	